कार्यालय, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची।

(पशुपालन भवन, द्वितीय तल, हटिया, हेसाग, राँची–834003)
Email ID:- jhgosewaayog@gmail.com

संचिका संख्याः–झा॰गो॰से॰आ॰राँची/इच्छा की अभिव्यक्ति/03/2023–24

अति अल्पकालीन

''इच्छा की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण

झारखण्ड गो सेवा आयोग राँची द्वारा गोवंशीय पशुओं से होने वाले लाभों का प्रचार प्रसार, गोबर प्रसंस्करित उत्पाद के निर्माण से रोजगारोंन्मुखी महिला सशक्तिकरण हेतु पाँच दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला कार्य के निमित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था के चयन के लिए ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण।

कार्यक्षेत्रः– गोडडा जिले के प्रखंड – गोडडा, पत्थरगामा एवं महागामा हेतु।
प्रत्येक प्रखण्ड से 20 महिलाओं का समुह का एक दल।

प्रशिक्षण अवधिः– प्रत्येक प्रखण्ड में 5 दिवसीय सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशालाः–

1	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित दस्तावेज (निःशुल्क) प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि	21.8.2024
2	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित दस्तावेज प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	27.8.2024
3.	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' जमा करने की अंतिम तिथि	29.8.2024 (अपराह्न 02:00 बजे तक)
4.	''इच्छा की अभिव्यक्ति'' संबंधित आवेदन खोलने की तिथि	29.08.2024 (अपराह्न 03:00 बजे)

इच्छा की अभिव्यक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करने एवं जमा करने का स्थानः– सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची, द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची–834003

प्रशिक्षण विषयः–

- गोबर उत्पादों के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग
- कच्चे माल की तैयारी (गोबर का संग्रहण, सुखाना, पीसना आदि)
- धूपबत्ती, अगरबत्ती, मूर्तियाँ और मूर्तियों को बनाने की प्रक्रिया
- उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग
- विपणन और उद्यमिता विकास

इच्छा के अभिव्यक्ति के लिए पात्रता

1. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था एक निबंधित (झारखण्ड राज्य में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी) संस्था होनी चाहिए।
2. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था का पैन, जी०एस०टी० नम्बर अनिवार्य एवं गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दस्तावेज वांछनीय होगा।
3. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को अपने संस्थान के Non Black Listed होने से संबधित दस्तावेज एवं झारखण्ड गो सेवा आयोग के अनुश्रवण तथा निर्देशों का पालन करने संबंधी शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
4. एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को उक्त कार्यों का अनुभव होना चाहिए। (आवेदन के साथ संबंधित अभिलेख / प्रमाण पत्र संलग्न होगा)

सामान्य निर्देश

5. गोडडा जिले के प्रखंड– गोडडा सदर, पत्थरगामा एवं महागामा में प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाना है। इसलिए वर्णित तीन प्रखंडों हेतु एजेंसी / गैर सरकारी संगठन का चयन किया जाएगा।
6. चयनित प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 महिला लाभुकों का चयन, चयनित एजेन्सी को स्वंय अपने स्तर से करना होगा। चयन हेतु निम्नवर्णित निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगाः–

   6.1 महिला लाभुक की उम्र 18–60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा)।

   6.2 महिला संबंधित प्रखण्ड की निवासी होनी चाहिए।

   6.3 महिला परिवार में गोवंश (गाय, बैल, बछड़ा बाछी) होनी चाहिए। (संबंधित आवेदन वार्ड मेम्बर / मुखिया / जनप्रतिनिधि द्वारा अनुसंशित होनी चाहिए)
7. कार्य के निष्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु आवश्यक संसाधन यथा मशीन, सांचा, पेंट, सामग्री, ब्रश, चटाई बोर्ड एवं अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्य हेतु अन्य आवश्यक संसाधन यथा बैठने के लिए कुर्सी, टेबल इत्यादि संबंधित एजेन्सी को वहन करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को जलपान / दोपहर का शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराना होगा जिसका वहन संबंधित एजेन्सी को करना होगा। संबंधित आवश्यक भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन एजेन्सी / गैर सरकारी संस्था को अपने स्तर से उपलब्ध कराना होगा। (आवेदन के साथ उक्त का ब्यौरा भी संलग्न करना होगा।)

8. गोबर प्रसंस्करण उत्पाद निर्माण के प्रशिक्षण संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में समर्पित करना होगा।
9. उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति शिविर अधिकतम राशि, कर सहित रू० 40,000/– (चालीस हजार पांच सौ रूपया) मात्र) देय होगी।
10. न्यूनतम निविदत दर का प्रखण्डवार चयन कर कार्य आवंटन किया जा सकेगा।
11. तकनीकी प्रस्ताव (आवेदन, दस्तावेज एवं अनुभव से संबंधित प्रस्ताव हेतु आवेदक को एक सीलबंद लिफाफा) वर्णित प्रखण्ड में कार्य किए जाने हेतु निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालय में जमा करना होगा।

12. वित्तीय प्रस्ताव (प्रखंड वार न्यूनतम निविदित दर संबंधित प्रस्ताव) अलग–अलग लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा।

13. तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव को एक तीसरे लिफाफा में सीलबंद कर झारखण्ड गो सेवा आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के अंदर जमा कराना होगा।

14. तकनीकी प्रस्ताव में उत्तीर्ण आवेदक के वित्तीय प्रस्ताव पर चयन हेतु अग्रेतर विचार किया जाएगा। प्रखण्डवार प्राप्त कुल वित्तीय प्रस्ताव को सूचिबद्ध करते हुए न्यूनतम निविदित दर का निर्धारण किया जाएगा।
15. विस्तृत जानकारी के लिए सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वितीय तल, पशुपालन भवन, हटिया हेसाग के पते पर सम्पर्क किया जा सकता है।
16. किसी भी स्तर पर विवादित विषयों पर अंतिम निर्णय, अध्यक्ष, झारखण्ड गो सेवा आयोग का मान्य होगा।

सचिव,
झारखण्ड गो सेवा आयोग,
राँची।